न्यायालयः समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. निग/ /प्रथम/2017

आर.के. दुबे तत्कालीन तहसीलदार गोहद

पुत्र श्री महावीद प्रसाद दुबे (वर्तमान डिप्टी कलेक्टर श्योपुर)

निवासी हाल. श्योपुर जिला–श्योपुर (म.प्र.)

.....आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

(1) म0प्र0 शासन द्वारा आयुक्त
चम्बल संभाग मुरैना

(2) कलेक्टर ,
जिला – श्योपुर (म.प्र.)

.....अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक स्था. /6–2/जाँच/2016/8612 दिनांक 15–12–2016 एवं कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्रमांक स्था/2016/11913 में प्रतिवेदन दिनांक 28/11/2016 से व्यथित होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/111/एक/2017 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-1-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के पत्र क्रमांक/स्था/6–2/वि. जाँच/2016/8612 दिनांक 15–12–2016 के विरूद्ध एवं कलेक्टर श्योपुर के प्रतिवेदन क्रमांक स्था/2016/119–13/दिनांक 28–11–2016 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदक तत्कालिन समय में श्योपुर में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के पद पर पदस्थ था। आवेदक द्वारा अपने न्यायिक/पदीय कर्त्तव्यों के निर्वाहन में न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसके क्रम में आवेदक द्वारा प्रकरण क्रमांक 125, 126, 127, 128 जो कि वर्ष 2009–10 से अपील माल के रूप में प्रचलित थे का निराकरण सामान प्रकरण क्रमांक 13–14 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 28–05–2016 को किया था। प्रार्थी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध पीड़ित पक्ष द्वारा एक शिकायत आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की जिसपर कार्यवाही हेतु कलेक्टर	

श्योपुर को लिखा गया तथा कलेक्टर श्योपुर द्वारा अपर कलेक्टर श्योपुर से जाँच करवाकर प्रतिवेदन 28-11-2016 को आयुक्त को भेजा तथा आयुक्त चंबल संभाग द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र आदि जारी किये गये उक्त प्रतिवेदन से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- निगरानी मेमो में उठाये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदक की ओर से उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही प्रार्थी के विरूद्ध प्रारम्भ की है वह विधि व विधान के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि जिन शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर से कार्यवाही प्रारम्भ की गई है उन्हीं के द्वारा एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा अपनी निगरानी क्रमांक 3064/एक/2016 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 09-09-2016 को आवेदक द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः तहसीलदार के समक्ष प्रत्यावर्तित कर दिया था। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ न्यायालय

द्वारा कोई भी टीका टिप्पणी आवेदक के विरूद्ध नहीं की गई तो शिकायतकर्ताओं के द्वारा द्वेषपूर्ण तरीके से गलत तथ्यों पर शिकायत की गई। आवेदक के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदक के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था। वह न्यायाधीश की हैसियत से किया गया था। इस कारण से उसे न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1984 की धारा 3 व 4 के तहत संरक्षण प्राप्त था। उनका अन्त में यह भी तर्क है कि शिकायत केवल प्रकरण क्रमांक 125 लगायत 128 के विरूद्ध की गई थी। परन्तु आयुक्त ने अपने पत्र में अन्य प्रकरणों का भी उल्लेख किया है जबकि अन्य प्रकरणों में पारित आदेशों का अवलोकन किया जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई और ना ही किसी पक्ष द्वारा कोई शिकायत की गई है इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का प्रतिवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– मध्यप्रदेश शासन के शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं उचित होने से निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6– उभय पक्षों के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्कों एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा बिना प्रकरण का अवलोकन किये प्रतिवेदन तैयार कर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना की ओर प्रेषित कर दिया। तथा

	आयुक्त द्वारा आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। जबकि अपर कलेक्टर द्वारा की गई जाँच में आवदेक को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया तथा जिस आदेश के विरूद्ध शिकायत की गई थी। उसे इस न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण 3064/एक/2016 आदेश दिनांक 09-09-2016 से निरस्त कर देने के बाद भी शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई। जिसका कोई औचित्य नहीं था। आयुक्त द्वारा भी पूर्व में पारित आदेश का अवलोकन नहीं किया गया। उसके बाद भी शिकायत पर कार्यवाही की गई। ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा की जा रही कार्यवाही संदेहास्पद होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। प्रकरण में अवलोकनीय प्रश्न यह भी है कि आवेदक एक न्यायाधीश की हैसियत से कार्य कर रहा था। उसके न्यायालयीन आदेश की विरूद्ध विधि में उपचार उपलब्ध है एवं उसे न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1984 की धारा 3 व 4 तथा माननीय उच्च न्यायालय के दृष्टांत याचिका क्रमांक 925/2007 संतोष तिवारी बनाम मध्यप्रदेश शासन के तहत संरक्षण प्राप्त है ऐसी स्थिति में आवेदक के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है 7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर श्योपुर के	

प्रतिवेदन पत्र क्रमांक स्थापना/2016/11913 दिनांक 28-11-2016 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा इसके क्रम में आवेदक के विरूद्ध आयुक्त द्वारा की जा रही समस्त कार्यवाही निरस्त की जाती है।

सदस्य